स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 212, दिनांकः 28.08.2020

महाराष्ट्र के विभिन्न जनपदों के थाना क्षेत्रों में चोरी, लूट एवं डकैती करने वाले गिरोह का 01 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 27.08.2020 को महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जनपदों में चोरी लूट एवं डकैती करने वाले गिरोह का सदस्य को थाना देहली गेट जनपद मेरठ क्षेत्रान्तर्गत से गिरफ्तार करने में एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

रिजवान सैफी उर्फ पिन्टू पुत्र सलीम सैफी नि0 मौहल्ला बीडी वाली गली, पूर्वा फैययाज अलीथाना देहली गेट जनपद मेरठ।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः–

दिनांक 27.08.2020, स्थानः मौहल्ला पूर्वा फैययाज अली थाना देहली गेट जनपद मेरठ समयः–16.00 बजे।

एस0टी0एफ उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उ0प्र0 के रहने वालें अपराधियों द्वारा महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जनपदों में राह चलते व्यक्तियों के साथ लूटपाट करने एंव बन्द घरों में चोरी व डकैती करने वालें गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, फील्ड इकाई, मेरठ द्वारा के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के नेतृत्व में टीमें गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि जनपद मेरठ के रहने वालें अपराधियों द्वारा महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जनपदों में चोरी, लूट एंव डकैती की बड़ी घटनाओं को अन्जाम दिया जाता हैं। जिस संबंध में थाना वनरेई, मुम्बई पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए गैंग के 05 अपराधियों को दिनांक 22.08.2020 को गिर0 करते हुए मु0अ0सं0 794/2020 धारा 399/402 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट व 37(1)(ए) 135 बीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। इस गैंग का एक सदस्य मुम्बई से भागकर मेरठ आ गया, जिसकी गिर0 हेतु डिप्टी कमीश्नर आफॅ पुलिस, जोन–12 मुम्बई का पत्र दिनांकित 25.08.2020 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसके क्रम में थाना वनरेई मुम्बई पुलिस टीम से समन्वय स्थापित करते हुए मुखबिर मामूर किये गये। मुखबिर द्वारा बताया गया कि महाराष्ट्र में चोरी, लूट व डकैती की घटना को अन्जाम देने वाले गिरोह का एक सदस्य महाराष्ट्र में किसी घटना को अंजाम देकर आया हैं तथा थाना देहली गेट क्षेत्र में रह रहा हैं। इस सूचना पर विश्वास करते हुये उ0नि0

श्री अरूण कुमार निगम के नेतृत्व में हे0कां0 संजय सिंह, हे0कां0 रवि वत्स एंव कान्स0 विकास धामा की टीम तैयार कर रवाना की गयी एवं थाना देहली गेट जनपद मेरठ पुलिस से सम्पर्क कर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान को चिन्हित करते हुए स्थानीय पुलिस एवं मुम्बई पुलिस को साथ लेकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा संयुक्त रूप से संक्षिप्त पूछताछ पर बताया कि वह तथा थाना देहली गेट जनपद मेरठ क्षेत्र के ही रहने वाली सादाब कुरैशी, अहमद कुरैशी, वसीम कुरैशी, मौहम्मद चॉद एंव मुम्बई के तौफीक शेख व सिकन्दर शेख जो मुम्बई में ऑटो चलाते हैं, के साथ मिलकर उनके ऑटों में घूम फिरकर विभिन्न क्षेत्रों में लूट व चोरी की घटनाओं को अन्जाम देता हैं। दिनांक 22.08.2020 को हम लोग घरों में डकैती डालने की योजना बना रहें थें कि मुम्बई पुलिस ने छापा मारकर उसके साथी सादाब कुरैशी, अहमद कुरैशी, वसीम कुरैशी व मुम्बई के रहने वाले ऑटो चालक तौफीक शेख व सिकन्दर शेख को गिरफ्तार कर लिया था तथा वह अपने एक साथी मौहम्मद चॉद उर्फ पप्पू कुरैशी के साथ मुम्बई से भागकर मेरठ आ गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वनरेई, मुम्बई पर मु0अ0सं0 794/2020 धारा 399/402 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट व 37(1)(ए) 135 बीपी एक्ट पंजीकृत हैं, अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना वनरेई, मुम्बई पुलिस द्वारा की जा रही है।